

प्रेषक,

मृत्युंजय कुमार नारायण,
सचिव,
राज्य सम्पत्ति विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2

लखनऊ:: दिनांक: 01 मई, 2017

विषय- राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न श्रेणी के भवनो के बाजार दर निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनो के किराये का बाजार दर पूर्व में निर्धारित न होने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित सारणी में अंकित विवरणानुसार बाजार दर निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रम	भवनो का प्रकार	लिविंग एरिया की रेंज (वर्गमीटर)	बाजार दर प्रतिमाह (रूपये में)
1	2	3	4
1	श्रेणी-1	30 तक (शौचालय दो से अधिक आवासो के लिये होने पर)	480.00
2	श्रेणी-1	30 तक (शौचालय दो आवासो के लिये होने पर)	720.00
3	श्रेणी-1	30 तक (शौचालय प्रत्येक आवास के लिये अलग होने पर)	1200.00
4	श्रेणी-1	30 तक (300 वर्ग फुट तथा अधिक कुर्सी क्षेत्रफल का आवास होने पर)	1680.00
5	श्रेणी-2	26.5 से 40 तक (350 वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्रफल का आवास होने पर)	2880.00
6	श्रेणी-2	41 से अधिक	3600.00
7	श्रेणी-3	44 से 55	4080.00
8	श्रेणी-3	56 से अधिक	5040.00
9	श्रेणी-4	59 से 75	10350.00
10	श्रेणी-4	76 से 91.5	13050.00
11	श्रेणी-4	106 तक	16650.00

12	श्रेणी-4	106 से अधिक	18900.00
13	श्रेणी-5	159.5 तक	23400.00
14	श्रेणी-5	159.5 से अधिक	27000.00
15	श्रेणी-6	189.5 से 224.5 तक	42000.00
16	श्रेणी-6	243 से 350 तक	60000.00
17	श्रेणी-6 एवं उससे उच्च	350.5 एवं अधिक	72000.00

2- इस आदेश द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन विभिन्न श्रेणी के भवनों के लिये बाजार दर का निर्धारण मात्र किया जा रहा है, जो राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 में वर्णित विहित प्राविधानों के अनुसार लागू होगी।

3- उपर्युक्तानुसार निर्धारित बाजार दर तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-8-649/दस-17 दिनांक-01.05.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मृत्युंजय कुमार नारायण
सचिव।

संख्या-आर-4080 (1)/32-2-2017 तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 2- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग।
- 4- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
- 6- संयुक्त सचिव, भारत सरकार नगर विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय), नई दिल्ली।
- 7- लखनऊ स्थित भारत सरकार के समस्त विभागाध्यक्ष।
- 8- राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक।
- 9- सचिव विधान सभा/परिषद।
- 10- उ0प्र0 के समस्त मंत्रीगण के निजी सचिव।
- 11- सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग।
- 12- मुख्य सचिव के विशेष सहायक।
- 13- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 14- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 15- स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
- 16- स्थानिक अधिकारी, कोलकाता।
- 17- विहित प्राधिकरण, राज्य सम्पत्ति विभाग।
- 18- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

(योगेश कुमार शुक्ल)

विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी।